



क्र. अका./2018/1449

भोपाल, दिनांक 16 .08.2018

संशोधित परिपत्र

विश्वविद्यालय के परिपत्र क्र. अका./2018/1325 भोपाल, दिनांक 04.08.2018 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 में विश्वविद्यालय के सांध्यकालीन विभाग में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया था। शैक्षणिक सत्र 2018-19 में विश्वविद्यालय के सांध्यकालीन विभाग में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क विवरण में संलग्न प्रपत्र अनुसार संशोधन कर लागू किया जाता है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(प्रो. संजय द्विवेदी)
कुलसचिव

पृ.क्र. अका./2018/1450

भोपाल, दिनांक 16 .08.2018

प्रतिलिपी

1. प्रभारी, सांध्यकालीन पाठ्यक्रम को सूचनार्थ।
2. निदेशक (प्रवेश) को सूचनार्थ।
3. प्रभारी पुस्तकालय को सूचनार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
5. उप कुलसचिव (नामांकन) को सूचनार्थ।
6. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
7. प्रभारी वेबसाइट संधारण को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड की ओर सूचनार्थ एवं ऑनलाइन प्रवेश आवेदन/विवरणिका में यथानुसार संशोधन/अद्यतन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
9. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. संजय द्विवेदी)
कुलसचिव

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल
सांध्यकालीन एक वर्षीय स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम शुल्क भुगतान विवरण एवं शुल्क नियम सत्र 2018-2019


- 1) पी.जी.डिप्लोमा (वीडियो प्रोडक्शन) (P.G. Diploma in Video Production) 2) पी.जी.डिप्लोमा (वेब संचार) (P.G. Diploma in Web Communication)
 3) पी.जी.डिप्लोमा (योगिक स्वास्थ्य प्रबंधन एवं आध्यात्मिक संचार) (P.G. Diploma in Yogic Health Management and Spiritual Communication)
 4) पी.जी.डिप्लोमा (डिजिटल फोटोग्राफी) (P.G. Diploma in Digital Photography) 5) पी.जी. डिप्लोमा (आयोजन प्रबंधन) (P.G. Diploma in Event Management)
 6) पी.जी.डिप्लोमा (सोशल नेटवर्किंग) (P.G. Diploma in Social Networking)
 7) पी.जी.डिप्लोमा (भारतीय संचार परंपराएं) (P.G. Diploma in Indian Communication Traditions)

शुल्क विवरण			सामान्य विद्यार्थी		विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थी		विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी	
किश्त शुल्क भुगतान की अवधि	अंतिम तिथि	शुल्क का विवरण	राशि	कुल राशि	राशि	कुल राशि	राशि	कुल राशि
प्रथम किश्त 01 जुलाई से 10 जुलाई 2018	प्रवेश के समय	पुस्तकालय काशनमनी	2000	5930	-	2000	-	3180
		प्रयोगशाला शुल्क	500		-		500	
		वि.वि. विकास फंड	150		-		150	
		प्रवेश शुल्क	200		-		200	
		परिचय-पत्र शुल्क	30		-		30	
		पंजीयन (नामांकन) शुल्क	1250		1250		1250	
		शिक्षण शुल्क	1500		750		750	
		पुस्तकालय शुल्क	150		-		150	
		छात्र गतिविधि	150		-		150	
द्वितीय किश्त 01-10-2018 से 10-10-2018	10-10-2018	शिक्षण शुल्क	1500	1950	750	750	750	1200
		पुस्तकालय शुल्क	150		-		150	
		छात्र गतिविधि	150		-		150	
		वि.वि. विकास फंड	150		-		150	
तृतीय किश्त 01-01-2019 से 10-01-2019	10-01-2019	शिक्षण शुल्क	1500	2950	750	1750	750	2200
		पुस्तकालय शुल्क	150		-		150	
		छात्र गतिविधि	150		-		150	
		वि.वि. विकास फंड	150		-		150	
		परीक्षा शुल्क	1000		1000		1000	
चतुर्थ किश्त 01-03-2019 से 10-03-2019	परीक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार	शिक्षण शुल्क	1520	1820	760	760	760	1060
		पुस्तकालय शुल्क	150		-		150	
		वि.वि. विकास फंड	150		-		150	
		कुल योग रूपये			12650		5260	

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल

नियम:

1. सभी विद्यार्थियों को नियत तिथि पर देय शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है।
2. शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात रु. 5/- (रुपये पाँच) प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क देय होगा। विलम्ब शुल्क पाठ्यक्रम खत्म होने वाले अंतिम सत्र की परीक्षा के अंतिम दिन तक देय होगा।
3. विद्यार्थी की जमा काशनमनी उपरोक्त पाठ्यक्रम समाप्ति तिथि से छः माह की अवधि में अदेय (नोड्यूज) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वापस की जायेगी। काशनमनी वापसी का आवेदन करते समय संबंधित विद्यार्थी को जमा की गई काशनमनी की मूल रसीद अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगी। इस अवधि में विद्यार्थी द्वारा काशनमनी नहीं लिये जाने पर विद्यार्थी की काशनमनी वापस लेने की पात्रता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
4. काशनमनी के अतिरिक्त विद्यार्थी द्वारा जमा किया गया अन्य कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
5. परीक्षा के पूर्व विद्यार्थी को उपरोक्तानुसार संबंधित अवधि के लिये देय समस्त शुल्कों का भुगतान करना अनिवार्य है, अन्यथा विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
6. जो उम्मीदवार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं उन्हें उक्त शुल्क में से केवल पंजीयन (नामांकन) शुल्क, शिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क देना होगा। शुल्क की अन्य मदों की उन्हें छूट प्रदान की जायेगी।
7. विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/अका./2018/1388 भोपाल, दिनांक 10-08-2018 अनुसार विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी एवं विद्यार्थियों को आदेश के अनुसार शिक्षण शुल्क में 50 प्रतिशत प्रदान की गई छूट यथावत रहेगी।
8. विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश निरस्त किये जाने अथवा विद्यार्थी द्वारा स्वेच्छा से प्रवेश निरस्त करवाने की स्थिति में अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत केवल काशनमनी की राशि ही लौटाई जायेगी।


(प्रो. संजय द्विवेदी)
कुलसचिव